



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20067

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 881/2026

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड B / सहायक उप निरीक्षक कुलवेंद्र सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:अरविंद कुमार तिवारी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. तिवारी और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह निवेदन किया कि दिनांक 20.06.2025 के स्थानांतरण आदेश के तहत, रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण अलीगढ़ से इटावा कर दिया गया था और रिट याचिकाकर्ता ने वहां कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है; किंतु अब रिट याचिकाकर्ता यह चाहता है कि उसका स्थानांतरण वापस मुजफ्फरनगर, शामली अथवा जिला गाजियाबाद में कर दिया जाए।
3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि, यदि रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो वह स्थानांतरण आदेश को रद्द करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।
4. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह मुजफ्फरनगर, शामली अथवा जिला गाजियाबाद में वापस स्थानांतरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यह अभ्यावेदन केवल तभी विचारणीय और स्वीकार्य होगा, जब रिट याचिकाकर्ता ने स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया हो।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”